No. 36035/1/2006-Estt(Res)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Personnel & Training
*****

North Block, New Delhi.
Dated the 16th January, 2006

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Annual Reports regarding Representation of Persons with Disabilities in the Central Government Services as on 1.1.2006.

The undersigned is directed to say that soon after the first January of every year, each appointing authority is required to send to its administrative Ministry/Department:

(i) PWD Report-I in the prescribed proforma (copy enclosed) showing the total number of employees, total number of employees in the posts which have been identified suitable for persons with disabilities and number of employees suffering from blindness or low vision, hearing impairment, and locomotor disability or cerebral palsy as on the 1st January of the year, and

(ii) PWD Report-II in the prescribed proforma (copy enclosed) showing the number of vacancies reserved for persons suffering from blindness or low vision, hearing impairment, and locomotor disability or cerebral palsy and number of such persons actually appointed during the preceding calendar year.

2. The administrative Ministry/Department, after receiving the information from all appointing authorities under it, is required to scrutinize the information received and send consolidated PWD Report-I and PWD Report- II in prescribed proformae <u>in respect of the Ministry/Department including information in respect of all attached and subordinate offices</u> under its control to the Department of Personnel and Training by the 31st March of the year.

3. PWD Report-I as on 1.1.2006 and PWD Report-II for the year 2005 have become due from the appointing authorities. <u>All Ministries/Departments are, therefore, requested to collect requisite information from appointing authorities under their control and send consolidated reports to this Department by 31.3.2006.</u> While sending the reports to this Department, following points should be kept in view:

(i) It should be ensured that consolidated information in respect of entire Ministry/Department including information in respect of all its attached and subordinate offices is sent at one go and partial or incomplete information is not sent.

(ii) Reports should not include information in respect of Public Sector Undertakings, statutory, semi-Government and autonomous bodies.

(iii) The attached/subordinate offices should send information to their administrative Ministry/Department and should not send it direct to this Department.

(iv) Figures in respect of persons with disabilities should include persons appointed by reservation as well as appointed otherwise.

(v) The PWD Report I relates to persons and not to posts. Therefore, while furnishing this report the posts vacant etc. should not be taken into account.

(vi) In Report-I, persons on deputation should be included in the establishment of the borrowing Ministry/Department /Office and not in the parent office.

(vii) Persons permanent in one grade but officiating or holding temporary appointment in the higher grade should be shown in the figures relating to the class of service in which the higher grade concerned is included.

(K.G. Verma)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele: 23092110

To

1. All Ministries / Departments of Govt. of India
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi
3. Department of Economic Affairs (Insurances Division), New Delhi
4. Department of Public Enterprises, New Delhi,
5. Railway Board,
6. Union Public Service Commission / Supreme Court of India / Election Commission / Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat / Cabinet Secretariat Central Vigilance Commission / President's Secretariat / Prime Minister's Office / Planning Commission
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
9. Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities, Bhagwan Dass Road, New Delhi
10. 100 spare copies.

PWD REPORT – I

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF THE PERSONS WITH DISABILITIES IN SERVICES
(As on 01.01.2006)

MINISTRY / DEPARTMENT
ATTACHED / SUBORDINATE OFFICE:

Group	**Number of Employees**				
	Total	In Identified posts	VH	HH	OH
1	2	3	4	5	6
Group A					
Group B					
Group C					
Group D					
Total					

Note: (i) VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)
(ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)
(iii) OH stands for Orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)

PWD REPORT II

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF PERSONS WITH DISABILITIES APPOINTED DURING THE YEAR
(For the Year 2005)

MINISTRY / DEPARTMENT
ATTACHED / SUBORDINATE OFFICE:

GROUP	DIRECT RECRUITMENT								PROMOTION							
	No. of vacancies reserved			No. of Appointments Made					No. of vacancies reserved			No. of Appointments Made				
	VH	HH	OH	Total	In Identified Posts	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	In Identifie d Posts	VH	HH	OH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Group A									NIL	NIL	NIL					
Group B									NIL	NIL	NIL					
Group C																
Group D																

Note: (i) VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)
(ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)
(iii) OH stands for Orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)
(iv) There is no reservation for persons with disabilities in case of promotion to Group A and B posts. However, persons with disabilities can be promoted to such posts, provided the concerned post is identified suitable for persons with disabilities.

संख्या-36035/1/2006-स्था. (आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 16 जनवरी, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय: निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में दिनांक 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक रिपोर्ट।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी के तुरन्त पश्चात प्रत्येक नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को निम्नलिखित भिजवाया जाना अपेक्षित है:-

(i) वर्ष की एक जनवरी की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप में पहचान किए गए पदों पर कर्मचारियों की कुल संख्या और दृष्टि विहीनता अथवा कम दृष्टि, बधिरता और चलने-फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज) से ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से संम्बंधित (पी.डब्ल्यू.डी.) रिपोर्ट-I और

(ii) दृष्टि विहीनता अथवा कम दृष्टि, बधिरता और चलने-फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या और पिछले कलेण्डर वर्ष के दौरान वास्तविक तौर पर नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधित (पी.डब्ल्यू.डी.) रिपोर्ट-II।

-----2/-

2. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से यह अपेक्षा है कि वह अपने नियंत्रणाधीन सभी नियोक्ता प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, प्राप्त जानकारी की संवीक्षा करे और अपने नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों संबंधी जानकारी सहित मंत्रालय/विभाग के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में समेकित पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-I और पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-II, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उस वर्ष के 31 मार्च तक भिजवा दे।

3. दिनांक 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-I और वर्ष 2005 की पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-II, नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा भिजवाए जाने का समय हो चुका है। अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन नियोक्ता प्राधिकारियों से अपेक्षित जानकारी एकत्र करे और समेकित रिपोर्ट इस विभाग को 31.03.2006 तक भिजवा दें। इस विभाग को रिपोर्ट भिजवाते समय, निम्नलिखित बिन्दुओं को मद्देनज़र रखा जाए :-

(i) यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित समूचे मंत्रालय/विभाग के संबंध में समेकित जानकारी एक ही बार में भिजवाई जाती है और आंशिक तौर पर अथवा अधूरी जानकारी नहीं भिजवाई जाती।

(ii) रिपोर्टों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों के संबंध में जानकारी शामिल नहीं की जाए।

(iii) संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को जानकारी भिजवाएं और सीधे इस विभाग को न भिजवाएं।

(iv) नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों संबंधी आंकड़ों में, आरक्षण द्वारा नियुक्त और अन्यथा नियुक्त व्यक्ति शामिल किए जाएं।

(v) पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट-I व्यक्तियों से संबंधित है, पदों से नहीं। अत: यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय रिक्त पदों इत्यादि को ध्यान में न रखा जाए।

(vi) रिपोर्ट-I में, प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों को उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के स्थापना में शामिल किया जाए, मूल कार्यालय में नहीं।

-----3/-

(vii) एक ग्रेड में स्थायी कर दिए गए अपितु उच्चतर ग्रेड में स्थानापन्न रूप से अथवा अस्थायी नियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को, उस सेवा की श्रेणी से संबंधित आंकड़ों में दर्शाया जाए जिसमें संबंधित उच्चतर ग्रेड शामिल किया गया है।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
भारत सरकार के उप-सचिव
दूरभाष: 23092110

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
5. रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
9. निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
10. 100 अतिरिक्त प्रतियाँ।

निःशक्तता-ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित (पी.डब्ल्यू.डी.) रिपोर्ट -I

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

(01-01-2006 की स्थिति के अनुसार)

मंत्रालय/विभाग

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	उपयुक्त चुने गए पदों में	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक विकलांग
1	2	3	4	5	6
समूह 'क'					
समूह 'ख'					
समूह 'ग'					
समूह 'घ'					
कुल					

टिप्पणी (i) दृष्टि विकलांग का आशय, दृष्टि-विहीनता अथवा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से है ।

(ii) बधिर का आशय, उन व्यक्तियों से है जिन्हें कम सुनाई देता है ।

(iii) शारीरिक-विकलांग का आशय , चलने फिरने में निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज़) से ग्रस्त व्यक्तियों से है ।

निःशक्तता-ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित (पी.डब्ल्यू.डी.) रिपोर्ट-II

वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(वर्ष 2005 के संबंध में)

मंत्रालय/विभाग

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

समूह	सीधी भर्ती								पदोन्नति							
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल	उपयुक्त चुने गए पदों में	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक रूप से विकलांग	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल	उपयुक्त चुने गए पदों में	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक रूप से विकलांग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
समूह 'क'									शून्य	शून्य	शून्य					
समूह 'ख'									शून्य	शून्य	शून्य					
समूह 'ग'																
समूह 'घ'																

टिप्पणी (i) दृष्टि-विकलांग का आशय, दृष्टि विहीनता अथवा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से है ।

(ii) बधिर का आशय, बधिर अथवा कम सुनने वाले व्यक्तियों से है ।

(iii) शारीरिक-विकलांग का आशय, चलने फिरने में निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज) से ग्रस्त व्यक्तियों से है ।

(iv) समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर पदोन्नति के मामले में, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है । फिर भी, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित पद निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद के रूप में चुना गया हो ।